212 प्रथम - .../2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-6-22	सरिश्ते की रिपोर्ट होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलबकर पत्रावली दिनांक 2-8-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
2-8-22	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित जवाब हेतु अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते जवाब आगामी दिनांक 22-9-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	बाबूलाल
22-9-22	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उप. अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी कृषि भूमि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का मोरड़ा में स्थित है प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	... हुक्म ... में जारी ...
	खसरा सं. 474 की पूर्वी मेर के समीप मिट्टी की डोल बनी हुई है जिसको अप्रार्थी खेमचन्द ने अताही एवं प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद बाहुलता ~~का~~ बढ़ने की सम्भावना को मद्देनजर रखते उभयपक्ष को मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते है। अतः उभयपक्षों को ता फैसला मुकदमा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ख. सं. 474 की पूर्वी मेर की मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। [signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बून्दी)	